देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/palm/19 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 25 जुलाई 2022

सी-स्कीम स्थित स्काई-जा रेस्टोरेन्ट में बिना बार-लाइसेन्स परोसी जा रही थी ग्राहको को शराब!!

रेस्टोरेन्ट मैनेजर मनीष कुमार सहित बार संचालको पीयूष विजय और दिनेश शर्मा को आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19,20,54 के तहत किया गिरफ्तार

आबकारी विभाग का शराब लाईसेन्सी दिनेश शर्मा ही बेच रहा था रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट मे अवैध तरीके से शराब!!!

लेकिन इसके बावजूद जिला आबकारी अधिकारी नहीं कर रहे, राजस्थान आबकारी एक्ट 1950 की धारा 34 के तहत लाइसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

सी-स्कीम स्थित स्काई-जा नामक रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट मे बिना बार-लाइसेन्स परोसी जा रही थी ग्राहको को शराब!!

इस माह की 17 तारीख को जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने सी-स्कीम मे अग्रसेन सर्कल पर स्थित स्काई जा नामक रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट मे छापेमारी कर,संचालक समेत 3 लोगो; रेस्टोरेन्ट मैनेजर मनीष कुमार और बार संचालक पीयूष विजय और दिनेश शर्मा को आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19,20,54 के तहत किया गिरफ्तार को गिरफ्तार किया था|

राष्ट्रदूत जयपुर, 19 जुलाई, 2022 — राजधानी

सी-स्कीम में 'स्काई ज़ा रेस्टोरेंट' पर पुलिस ने छापा मारा, संचालक-मैनेजर समेत 3 दबोचे

बिना लाइसेंस ग्राहकों को देर रात तक अवैध तरीके से पिलाई जा रही थी शराब

- पुलिस की स्पेशल टीम ने सादा वर्दी में पुलिसकर्मी रेस्टोरेंट में भेजकर तस्दीक कराई, फिर छापा मारा
- आरोपियों के कब्जे से विभिन्न ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब और बीयर की 34 पेटियां बरामद

जयपुर (कासं)। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने सी-स्कीम में अग्रसेन सर्किल पर स्थित स्काई जा रेस्टोरेन्ट में छापेमारी कर संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस जब यहां पहुंची तो लोगों को अवैध तरीके से शराब पिलाई जा रही थी। पुलिस ने रेस्टोरेंट से विभिन्न ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब और बीयर की 34 पेटियां व बिक्री के 2900 रुपये बरामद किए है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) परिस देशमुख ने बताया कि सीएसटी ने अशोक नगर थाना इलाके के अग्रसेन सर्किल, सी-स्कीम स्थित स्काई जा रेस्टोरेन्ट में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है। इस पर पुलिसकर्मी को सादा वर्दी में भेज कर तस्दीक करवाई गई और फिर इशारा मिलने पर छापेमारी की। पुलिस ने रेस्टोरेंट के मैनेजर मनीष कुमार (28) निवासी विधाधर नगर, संचालक पीयूष विजय (35) निवासी प्रताप नगर और दिनेश शर्मा (40) निवासी गोविन्दपुरी रामनगर सोडाला को गिरफ्तार किया है।

जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने सी-स्कीम में अग्रसेन सर्किल पर स्थित स्काई जा रेस्टोरेन्ट में छापेमारी कर संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया।

आरोपियों के कब्जे से विभिन्न ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब व बीयर की लगभग 34 पेटियां एवं बिक्री की राशि 2900 रुपये बरामद की। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पीयूष विजय, मनीष कुमार व दिनेश शर्मा सिंह मूलतः जयपुर के निवासी है। आरोपित पीयूष विजय व दिनेश शर्मा स्काई जा रेस्टोरेन्ट के संचालक है, जबकि मनीष कुमार मैनेजर के पद पर कार्यरत है।

स्काई जा रेस्टोरेन्ट सी-स्कीम जैसे पॉश इलाके में होने के कारण देर रात्रि तक यहां ग्राहकों की आवाजाही रहती है। आरोपियों के पास रेस्टोरेन्ट में अवैध शराब का स्टॉक रखने व ग्राहकों को शराब पिलाने के लिए कोई लाइसेंस भी नहीं था।

SKYZA RESTAURANT

Licencees gave liquor in violation of Excise norms

Nirmal Tiwari

Jaipur: In a new twist in the case of action on Skyza restaurant by the CST team of Police Commissionerate, Piyush and Dinesh Sharma, the

जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम द्वारा की इस कार्यवाही पर चर्चा करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्यूंकि इस छापेमारी ने स्थानीय पुलिस की चाक चोबन्दी की पोल खोलने के साथ ही आबकारी विभाग मे व्याप्त भ्रष्टाचार की परते भी उधेड़ कर रख दी|

क्या यह संभव है कि देर रात,बिना लाइसेन्स,शहर के बीचों बीच कोई रेस्टोरेन्ट शराब परोस रहा हो और पुलिस और आबकारी विभाग को भनक तक नहीं लगे?

जैसा कि आपको बताया गया है कि इस बड़ी कार्यवाही को जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) द्वारा अंजाम दिया गया था|इस कार्यवाही के तहत जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) के प्रभारी खलील अहमद द्वारा खुद मौके पर जाकर एवं सादा वर्दी मे पुलिसकर्मी को रेस्टोरेन्ट मे भेज कर,अवैध रूप से बिना लाइसेन्स के शराब बेचने की तसदीक करवायी गयी,उसके बाद उनके द्वारा अशोक नगर थाने को इत्तला देकर मौके पर बुला कर पुख्ता कार्यवाही करवायी गयी|

पुलिस की एफ़आईआर के अनुसार इस कार्यवाही को पुलिस की टीमों द्वारा रात 11.50 पर अंजाम दिया गया था|मौके पर 50

लोग से अधिक लोग बैठ कर शराब का सेवन कर रहे थे|इसी के साथ पुलिस को मौके पर बीयर के विभिन्न ब्रांडो की करीब 647 और अँग्रेजी शराब की 19 बोतले बरामद हुई, इसी के साथ 2900 रुपए की नकदी भी बरामद की गयी जिसे शराब बेचकर वसूला गया था|

201	Country Liquor	Jaipur City	Jaipur	Jaipur(South East)	Dinesh Sharma	Shop No 4 Ward No 126(G) 127(G)	1. SP-27, Sector-6, Malviya Nagar, Jaipur

आबकारी विभाग का लाईसेंसी दिनेश शर्मा ही बेच रहा था,रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट मे बिना लाइसेन्स शराब

पुलिस द्वारा इस मामले मे रेस्टोरेन्ट मैनेजर मनीष कुमार सहित बार संचालको पीयूष विजय और दिनेश शर्मा को आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19,20,54 के तहत गिरफ्तार किया गया है|इन तीनों अभियुक्तों मे दिनेश शर्मा की आबकारी वृत जयपुर साउथ-ईस्ट के वार्ड संख्या 126,127(G) मे दुकान संख्या SP-27,सेक्टर-6,मालवीय नगर पर कम्पोजीट शराब की स्वीकृत शराब की दुकान है|इस मामले मे पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19,20,54 के तहत अन्य लोगो के साथ दिनेश शर्मा को गिरफ्तार किया है|

राजस्थान आबकारी एक्ट 1950 की धारा 34 के तहत लाइसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही!!!लेकिन आबकारी विभाग के जिम्मेदार नहीं कर रहे अपने दायित्वों का निर्वहन|

राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 34(1)(d) जिसके अनुसार **Power to cancel and suspend licenses**

"If the holder thereof is convicted of any, offence punishable under this act or any, other law for the time being in force relating to revenue or of any cognizable and non-bailable offence or any offence punishable under the Dangerous Drugs Act,1930(central Act 2 of 1930)Now Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 or any law relating to merchandise marks or of any offence punishable under Sections 482 to 489(both inclusive)of the Indian Penal Code"

दोषी व्यक्ति को जारी लाइसेन्स निरस्त करने का प्रावधान है|

देखा जाए तो इस प्रकरण की सूचना के साथ ही वृत निरीक्षक/जिला आबकारी अधिकारी को लाईसेन्सी दिनेश शर्मा की कम्पोजीट शराब की दुकान का लाइसेन्स निरस्त कर देना चाहिए था/अनुशंसा कर देनी चाहिए थी|लेकिन ऐसा हो ना सका|आश्चर्य की बात यह है कि इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी आबकारी विभाग,जयपुर शहर के जिम्मेदार अधिकारियों के कानो पर जूं तक नहीं रेंग रही है|घटना के 8 दिन बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस मामले से अनभिज्ञता जता रहे है|जाहिर है कि आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आज दिनांक तक इस मामले मे कोई कार्यवाही नहीं की गयी है|जबकि यह मामला आबकारी विभाग की नाकामी और निक्कमेपन का जीता-जागता उदाहरण है,क्यूंकी यह संभव नहीं है कि बिना संबन्धित आबकारी निरीक्षक (जयपुर शहर-उत्तर)हरीश शर्मा की जानकारी के उसके इलाके मे कोई व्यक्ति खुलेआम अवैध रूप से शराब बेच रहा हो|इस प्रकरण मे यह बात भी प्रमुखता से सामने आई है कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा आबकारी विभाग को पत्र लिख कर चेताया जा चुका था कि उक्त रूफ टॉप बिना फायर एनओसी संचालित है लिहाजा इसे रेस्टोरेन्ट बार का लाइसेन्स नहीं दिया जाए|जिससे साफ होता है कि आबकारी विभाग को इस रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट के संचालन

एवं इसमे बिना लाइसेन्स शराब बिक्री की जानकारी थी|

जानकारो के अनुसार,आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस लाईसेन्सी दिनेश शर्मा को बचाने के लिए यह तर्क दिया जा रहा है कि उक्त केस पुलिस द्वारा बनाया गया है आबकारी विभाग द्वारा नहीं,अतः पुलिस द्वारा दर्ज मामले मे पुलिस विभाग को पत्र लिखकर,पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कोई कार्यवाही की जा सकेगी|

सूत्रो के अनुसार लाईसेन्सी दिनेश शर्मा द्वारा अवैध रूप से जयपुर शहर के अधिकांश आबकारी निरीक्षकों और अन्य आला अधिकारियों तक के लिए मासिक बंधी एकत्रित करने का कार्य किया जाता है,जिसके चलते ही उसकी दुकान लाइसेन्स को निरस्त होने से बचाया जा रहा है|यदि एसीबी द्वारा इस मामले की गहनता से जांच की जाए तो संभव है कि इस प्रकरण मे बड़े बड़े नाम सामने आए,साथ ही साथ वर्षो से चल रही मासिक बंधी का भी बड़ा खुलासा होने की प्रबल संभावना है|

जवाब मांगते सवाल?

1. इस रेड मे पकड़ी गयी शराब और बीयर की खेप क्या दिनेश शर्मा द्वारा अपनी लाइसेन्सशुदा दुकान से सप्लाई नहीं की जा रही थी?यदि यह माल दिनेश शर्मा की दुकान का नहीं है तो कहाँ से तस्करी करके लाया गया था?

2. दिनेश शर्मा और पीयूष विजय द्वारा बिना लाइसेन्स शराब बेचने का धंधा कब से किया जा रहा था?

3. क्या यह सही नहीं है कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी,देवेन्द्र मीणा द्वारा आबकारी विभाग को पत्र लिखकर,स्काई-जा रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट,जो कि बिना फायर एनओसी संचालित था, को बार लाइसेन्स नहीं देने के लिए चेताया गया था?

4. क्या पुलिस ने दिनेश शर्मा और पीयूष विजय के मोबाईलों को अपने कब्जे मे कर,उनकी कॉल डिटेल की जांच करवायी थी?इन कॉल डिटेलों के अनुसार दिनेश शर्मा द्वारा गिरफ्तारी की रात कितनी बार संबन्धित आबकारी निरीक्षक हरीश शर्मा और अन्य आबकारी अधिकारियों से बातचीत की गयी थी?

5. आखिर कौन है यह दिनेश शर्मा और क्या है इसके असली धंधे?

6. क्या यह सही है कि दिनेश शर्मा अवैध रूप से जयपुर शहर के अधिकांश आबकारी निरीक्षकों और अन्य आला अधिकारियों तक के लिए मासिक बंधी एकत्रित करने का काम करता है और एवज मे अपने और अपने चहेतों के गैर-कानूनी और नाजायज काम इन अधिकारियों से करवाता है?

7. आखिर क्यूँ जिला आबकारी अधिकारी राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत दिनेश शर्मा द्वारा जयपुर साउथ-ईस्ट के वार्ड संख्या 126,127(G) मे दुकान संख्या SP-27,सेक्टर-6,मालवीय नगर पर कम्पोजीट शराब की स्वीकृत शराब की दुकान के लाइसेन्स को निरस्त नहीं किया जा रहा है?

8. आखिर आबकारी विभाग,जयपुर शहर मे देवस्थान विभाग को या पुलिस विभाग को चिट्ठी-चिट्ठी लिखने का खेल कौन अधिकारी खेल रहा है?

9. आखिर क्यूँ डीईओ मातादीन मीणा को पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है?दिनेश शर्मा की दुकान निरस्त होने से बचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा क्या क्या बहाने गढ़े जा रहे है?